

F.NRC/NCTE/F-7/RJ-915/2007/35339  
APN 0 3 2 5 8

Date:

12 JAN 2008

**TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY**

**ORDER**

WHEREAS in terms of Section 14(1) of the NCTE Act, **Seth Sushil Kumar Bihani S.D. Shiksha Mahavidyalaya, Near Sukharia Circle, Sri Ganga Nagar, Rajasthan - 335001** has submitted an application (code No. 03258) to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition/permission for starting **BSTC Course** of 2 years duration with an annual intake of **50 (Fifty Only)** students.

2. AND WHEREAS on scrutiny of the application submitted by the institution, the documents attached therewith the affidavit and the input received from the visiting team in the form of report and videography, the Committee is satisfied that the institution/society fulfills the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the Secondary Teacher Education programme such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory etc. for running the programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 14 (3) (a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition **Seth Sushil Kumar Bihani S.D. Shiksha Mahavidyalaya, Near Sukharia Circle, Sri Ganga Nagar, Rajasthan - 335001** for conducting **STC Course** of two years duration with an annual intake of 50 (Fifty Only) students under clause 7(12) of Regulation dated 13.01.2006 subject to fulfillment of the following:

- (i) The institution shall within one month of the receipt of recognition order, convert the endowment fund account into a joint account to be operated along with an official of the Northern Regional Committee.
- (ii) The institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.

4. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC and the State Government etc, wherever applicable.

5. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.


6. If the institution contravenes any of the above conditions or any of the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made or issued there under, the Regional Committee may withdraw the recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

Cont.....02

::02::

7. The institution shall maintain & update the Website as per provisions of NCTE Regulations.
8. The staff appointed is to be rectified by the affiliating body and the copy of same is to be submitted to this office for records.

By order,

  
(Dr. Ajit Singh Rana)  
Regional Director

✓ The Manager to Govt. of India  
Department of Publications, (Gazette Section)  
Civil Lines, Delhi-110 054

Copy to

1. The Principal, **Seth Sushil Kumar Bihani S.D. Shiksha Mahavidyalaya, Near Sukharia Circle, Sri Ganga Nagar, Rajasthan - 335001**
2. The Secretary, Dept. of Elementary Education and literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi-110 001,
3. The Secretary, Education, Govt. of Rajasthan, Secretariat, Jaipur.
4. The Registrar, SCERT, Udaipur, Rajasthan.
5. The Director, Directorate of Higher Education, I/C Teacher Education, Govt. of Rajasthan, Directorate, Bikaner (Rajasthan).
6. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002.
7. Office order file/Institution file.

/

(Regional Director)

राजस्थान सरकार  
स्कूल शिक्षा विभाग  
प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग

क्रमांक : प.15(5)शिक्षा-1 / प्रा.शि. / 2003 पार्ट-II

जयपुर, दिनांक: 3/4/08

आयुक्त,  
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर।

विषय :- राज्य में निजी क्षेत्र में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2008-09 के लिए प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) जयपुर से जारी मान्यता/सीट आवंटन पत्र के आधार पर निर्देशानुसार निम्नलिखित 10 निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 3 में अंकित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कॉलम संख्या 4 में अंकित सीटों की संख्या के साथ प्रवेश प्रक्रिया वर्ष 2008-09 हेतु नियमानुसार काउन्सलिंग में सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
1	2	3	4
1	बियाणी गर्ल्स कॉलेज, विधाधर नगर, जयपुर	STC	50
2	संस्कार इंटरनेशनल महिला शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़	STC	50
3	श्रीमती पानी देवी गोलेच्छा बी.एस.टी.सी. स्कूल हिमाडा, जसोल, बाडमेर	STC	50
4	ब्राइटमून प्राथमिक टीचर ट्रेनिंग संस्थान, चौमू, जयपुर	STC	50
5	स्वामी विवेकानन्द कॉलेज फॉर प्रोफेशनल स्टडीज, सींथल, बीकानेर	STC	50
6	श्रीकृष्ण एज्युकेशनल इंस्टीट्यूट तुहिया, मथुरा रोड, भरतपुर	STC	50
7	एस.एम.एस. टीचर ट्रेनिंग स्कूल (एसटीसी), ब्यावर, अजमेर	STC	50
8	सेठ सुशील कुमार बिहाणी, एस.डी.शिक्षा महाविद्यालय, श्रीगंगानगर	STC	50
9	सौरभ कॉलेज ऑफ टीचर ट्रेनिंग, गांव पोस्ट-खेडा (हिन्डौनसिंटी) करौली	STC	50
10	करुणा शिक्षक प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय गाँव पोस्ट-नावा, हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़	STC	50


उपरोक्त वर्णित संस्थाओं में निम्न शर्तों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करवाई जावे।

1. प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सीनियर सैकण्डरी अकादमिक परीक्षा (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा कम से कम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिये, इन परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर के समकक्ष राज्य सरकार की मान्यता पर ही प्रवेश दिया जाये। इसी के साथ अभ्यर्थी को सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 5 विषयों के साथ जिनमें से 3 विषय हिन्दी, अंग्रेजी व गणित आवश्यक रूप से हों, उत्तीर्ण होना चाहिये।

क्रमशः.....2


2. शैक्षिक सत्र 2008-09 में बीएसटीसी पाठ्यक्रम में प्रवेश, प्री-प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार वरीयता सूची के अनुसार किया जायेगा।
3. विभिन्न प्रशिक्षण विद्यालयों/संस्थाओं में आवंटित सीटों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं विकलांगों आदि के लिए आरक्षण राज्य सरकार के वर्तमान में प्रभावी नियमों के अनुसार किया जायेगा।
4. पाठ्यक्रम में महिलाओं हेतु आरक्षित सीटों में से 10 प्रतिशत सीटें विधवा/परित्यक्ता महिलाओं हेतु आरक्षित रखी जायेंगी।
5. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयु सीमा राज्य सरकार के वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार रखी जायेगी।
6. एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित निम्नांकित शर्तों की पूर्ति पश्चात् संस्था को छात्र आवंटन किये जावें:-
  - (i) The institution shall, within one month of the receipt of recognition order, convert the endowment fund account into a joint account to be operated along with an official of the Northern Regional Committee.
  - (ii) The institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम 2005 के विनियम 7(12) के तहत इन संस्थाओं को उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति के अधीन मान्यता/सीट आवंटन पत्र जारी किये गये हैं, जबकि इन्हीं विनियमों के विनियम 8(10) के तहत क्षेत्रीय समिति द्वारा शर्त विहित मान्यता आदेश जारी होने पर ही संस्था में छात्र प्रविष्ट किये जाने का प्रावधान है, इसलिए इन संस्थाओं को क्रम संख्या 6 (i) पर अंकित शर्त की पालना सुनिश्चित किये जाने पर ही छात्र आवंटित किये जावे।

  
शासन उप सचिव  
प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
4. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षायें, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
6. संबंधित संस्था ~~हेतु सूचित~~ ~~विद्यालय~~ ~~पुनः~~ ~~परीक्षा~~ ~~प्रशिक्षण~~ ~~संस्थान~~
7. रक्षित पत्रावली।

  
शासन उप सचिव